विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
14(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चतुरीखेड़ा तहसील सदर जनपद लखनऊ में स्वीकृत सरकारी नाली का बनाये जाने में बाधॉ उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र उक्त स्थान पर नाली बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हॉ,तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या क्या थे और कब तक उक्त स्थान पर स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाली का निर्माण करायेंगे?	उक्त पत्र दिनांक 16.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री दुलारे पुत्र श्रीराम, निवासी ग्राम चतुरी खेड़ा, थाना मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा नाली बनवाने व जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि ग्राम सिरगामऊ, मजरा चतुरी खेड़ा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ में सीसी रोड व नाली निर्माण का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा था। श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र पुत्र दुलारे, दुलारे पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम चतुरी खेड़ा, थाना मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा तिरछी नाली के निकासी को लेकर गांव की चंद्रवती पत्नी महावीर, निवासी ग्राम चतुरीखेड़ा, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के मध्य लड़ाई– झगड़ा तथा मारपीट हुई थी। उक्त के सम्बन्ध में श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी वीरेंद्र निवासी उपरोक्त व श्रीमती चंद्रवती पत्नी महावीर निवासी उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर श्रीमती सरोज कुमारी के तरफ से एनसीआर 02/25 धारा–115(2)/352 बीएनएस बनाम विनोद पुत्र महावीर, शिवा पुत्र महावीर, प्रमोद पुत्र महावीर, रामकुमारी पत्नी आलम, निवासीगण चतुरीखेड़ा, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के विरूद्ध पंजीकृत की गयी तथा श्रीमती चंद्रवती पत्नी महावीर की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर एनसीआर नंबर 03/2025 धारा–115(2)/352 बीएनएस बनाम दुलारे पुत्र श्री राम, राजा पुत्र दुलारे, द्वारिका पुत्र श्रीराम निवासीगण चतुरीखेड़ा, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। उक्त दोनों एनसीआर की जांच में दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना स्थानीय से दिनांक 10.01.2025 को धारा–126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी। श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी वीरेंद्र कुमार द्वारा पूर्व में प्रेषित तहरीर की जाँच के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी वीरेंद्र कुमार व दुलारे पुत्र श्रीराम द्वारा ही सीसी रोड, नाली बनने नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण निर्माण कार्य बाधित रहा। अब श्रीमती सरोज कुमारी तथा उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य कराया जाए, हम लोग सहयोग करेंगे। उक्त के आधार पर दिनांक 17.02.2025 से सीसी रोड/नाली निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।